

शुभ,

श्री हार्देन्द्र सिंह,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

"NOC"

सेवा में,

सचिव  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा क्षेत्र-2 समूचा क्षेत्र,  
प्रति विचार, नई दिल्ली।

शिक्षा 178 अनुभाग

संख्या दिनांक 07/ कु, 2000

विषय:- श्रीक डेन एजिड स्कूल, अलीगढ़ को सीपवीडरसर्डो नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने।

संदर्भ,

अपरिचित विषय पर मुझे पत्र कने का निदेश हुआ है कि श्रीक डेन एजिड स्कूल अलीगढ़ को सीपवीडरसर्डो नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अंगीन अनापत्ति नहीं है:-

- 111 विद्यालय की संशोधित योजनाओं का समय समय पर मॉनिटरिंग कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम एक प्रतिभास स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गों के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगी और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यमिक शिक्षक द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिये निर्धारित स्तर के प्रथम स्तर नहीं किया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनापत्ति शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कॉमिशन कार टि इन्डियन स्कूल सर्विसेज इन्वैस्टिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उत्तर केन्द्रीय परिषदों को सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 151 संस्था सीधे एवं गैरसरकारी संगठनों को राज्य सरकार से प्राप्त मान्यता के अंगीकारियों को अनुसूचित वर्गों तथा अन्य वर्गों से कम वेतनमान तथा अन्य शर्तें नहीं दिये जायेंगे।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें मान्यता प्राप्त

अत्याधुनिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कार्यवाहियों की अनुमति तथा नियुक्ति का काम उपलब्ध कराये जायेंगे।

- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी अटेना निर्मात किये जायेंगे तैय्या उनका बालन करेगी।
- 18। विद्यालय का रिजार्ड निर्धारित पुरस्/परिष्कारों में रखा जायेगा।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का बालन करना तैय्या के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तैय्या द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का बालन नहीं किया वा रहा है अथवा बालन करने में किसी प्रकार की छूट वा गिराविलता परती आ रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुर्नत आपरिक्त पुमाना पर वापस ले लिया जायेगा।

भयलीप,

। सत्येन्द्र मिश्र ।  
विगीय सचिव ।

पुं०-3940111/15-7-1999, तदुदिनांक

पुतिविधि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आदेशक कार्यवाही हेतु पुधितः-

- 1- गिधा निदेशक, उत्तर पुदेग, लठानड ।
- 2- मण्डलीप संपुक्त गिधा निदेशक, आगरा ।
- 3- जिला विद्यालय निरीषक, अलीगढ़ ।
- 4- निरीषक, आंगल भारतीय विद्यालय, उठपु०, लठानड ।
- 5- पुष्यधक, धलेक डेल पब्लिक स्कूल, अलीगढ़ ।

आडा ले,

। सत्येन्द्र मिश्र ।  
विगीय सचिव ।

Handwritten signature  
Principal  
Blackdale Public School  
A. 117, A. 211

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक.....140572

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 8254

दिनांक 15-3-17



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र  
( अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन )

नवीकरण संख्या 2773

पत्रावली संख्या एजी-19070

दिनांक 1996-1997

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि दि रफी एजुकेशन  
डबलपमेंट सोसाइटी, पता-टापटन, टाउन मेडीकल कॉलेज रोड अलीगढ़।

874 / 1996-97

20-11-1996

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ..... दिनांक ..... को दिनांक

20-11-2016

..... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1000

..... रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

10-03-2017

जारी करने का दिनांक.....

सोसाइटी के रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश